अनुदान संख्या 67 – नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
GRANT No. 67–MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	593,89,00		597,47,00	420,96,88	–176,50,12
पूरक	Supplementary	3,58,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					174,44,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			30,20,00	30,00,00	–20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					16,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (17650.12 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 358.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.17650.12 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.358.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 30 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-.

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष ''3451''	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1759.00	1980.00	1924.27	–55.73
पू.	S.	356.00			
पु.	R.	–135.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6200.00	4.17	. .	–4.17
पु.	R.	–6195.83			
मुख्य शीर्ष "2810" अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	Major Head "2810" Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	49795.00	38292.83	38150.30	–142.53
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–11503.17			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1550.00	2015.00	2012.31	–2.69
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	464.00			

(I) 14185.00 लाख रु. का प्रावधान उन्नीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 13700.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "जैव-ऊर्जा - राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम - बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना" - 200.00 लाख रु.;

(ख) "सौर - फोटोवोल्टीय - निदर्शन और प्रौद्योगिकी" - 700.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.14185.00 lakhs remained wholly unutilised under nineteen heads; of these Rs.13700.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Bio-Energy - National Programme for Biogas Development - National Project on Bio-Gas Development" - Rs.200.00 lakhs;

(b) "Solar-Photovoltaic-Demonstration and Technology" - Rs.700.00 lakhs;

(ग) ''अन्य (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) - ऊर्जा के अन्य स्रोत - लघु पन विद्युत विकास'' - 2000.00 लाख रु.; और

(घ) ''अन्य (अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत) - अन्य अनुदान - ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 2950.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2810'' -

(क) ''सौर फोटोवोल्टीय - ग्रिड से जुड़ी एसपीवी विद्युत परियोजना'' - 1950.00 लाख रु. स्वतंत्र परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(ख) ''पवन - निदर्शन - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता'' - 200.00 लाख रु. पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन संबंधी प्रायोगिक स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ग) ''अन्य'' -

(i) ''ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(1) ''भू-तापीय ऊर्जा'' - 700.00 लाख रु. भू-तापीय परियोजना स्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के माध्यम से विभिन्न राज्यों से ब्योरवार परियोजना रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण थे।

(2) ''समुद्रीय ऊर्जा'' - 2000.00 लाख रु. ज्वार-भाटा ऊर्जा परियोजना के लिए निष्पादन अभिकरण राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा इंजीनियरी अधिप्राप्ति एवं प्रवर्तन संविदा जारी करने के लिए जारी की गई निविदा की प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के कारण थे।

(c) “Others (Non-Conventional Energy Sources)-Other Sources of Energy-Small Hydro Power Development” - Rs.2000.00 lakhs; and

(d) “Others (Non-Conventional Energy Sources) - Other Grants - Village Electrification Programme” - Rs.2950.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re- appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “2810” –

(a) “Solar-Photovoltaic – Grid Connected SPV Power Project” – Rs.1950.00 lakhs- due to delay in finalization of proposals by the independent project developers.

(b) “Wind – Demonstration - Assistance to Wind Power Generation Programme” - Rs.200.00 lakhs - due to non-finalisation of the pilot scheme on generation based incentives for Wind Power Projects.

(c) “Others” –

(i) “Other Sources of Energy” -

(1) “Geo-Thermal Energy” - Rs.700.00 lakhs - due to non-receipt of detailed project report from various States through National Thermal Power Corporation for setting up of geo-thermal project.

(2) “Ocean Energy” - Rs.2000.00 lakhs - due to non-receipt of response to tender floated for issue of Engineering Procurement and Commissioning contract by the executing agency National Hydro Power Corporation for the tidal energy project.

(ii) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ग्रामीण ऊर्जा सहायता कार्यक्रम'' - 700.00 लाख रु. संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजनाओं - ''बायोमास बाधा निराकरण'' को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(2) ''राज्यों की सहायता'' - 300.00 लाख रु. 11वीं योजना अवधि के दौरान चयनित परामर्शदाता द्वारा राज्य नोडीय अभिकरण के कार्यचालन/सुद ढ़ीकरण संबंधी अध्ययन रिपोर्ट के पूरा होने में विलंब होने के कारण थे।

(3) ''उद्योग को सहायता'' - 2000.00 लाख रु. राज्य स्तर पर जमीनी कठिनाइयों की वजह से प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना को सहायता संबंधी कार्यक्रमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय'' के अंतर्गत 1509.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 356.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1865.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, छुट्टी यात्रा रियायत और शिक्षण शुल्क संबंधी कम दावे प्राप्त होने छुट्टी यात्रा रियायत और शिक्षण शुल्क संबंधी कम दावे प्राप्त होने के कारण 83.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''अन्य कार्यालय - क्षेत्रीय कार्यालय'' के अंतर्गत 107.23 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जैव ऊर्जा'' -

(ii) "Other Expenditure"–

(1) "UNDP Rural Energy Support Programme" - Rs.700.00 lakhs – due to non-finalisation of the UNDP Projects - 'Biomass Barrier Removal'.

(2) "Support to States" - Rs.300.00 lakhs – due to delay in completion of the study report on functioning/strengthening of the State Nodal Agency (SNA) by the selected consultant during the 11th Plan Period.

(3) "Support to Industry" - Rs.2000.00 lakhs – due to non-finalisation of programmes for supporting the establishment of the proposed Special Economic Zones owing to ground difficulties at the State level.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat – Ministry of New and Renewable Energy" – the original provision of Rs.1509.00 lakhs was augmented to Rs.1865.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.356.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.83.50 lakhs – due to receipt of less claims towards leave travel concession and tuition fee.

(III) Under Major Head "3451" - "Other Offices – Regional Offices" – saving of Rs.107.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to winding up of some regional offices and economy measures.

(IV) Under Major Head "2810" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Bio-Energy" -

(क) ''बायोगैस के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 1101.00 लाख रु. की बचत (5100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न अभिकरणों से उपयोग प्रमाण-पत्रों और व्यय विवरण के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "National Programme for Biogas Development-National Project on Biogas Development" - saving of Rs.1101.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5100.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and statement of expenditure from various agencies.

(ख) ''बायोमास'' -

(b) "Biomass" –

(i) ''अकेले अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीफायर'' - 387.91 लाख रु. की बचत (610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से मार्ग निर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्यस्थल विशिष्ट परियोजनाएं प्राप्त न होने के कारण हुई।

(i) "Biomass Gasifier for Stand Alone Application" – saving of Rs.387.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.610.00 lakhs) was due to non-receipts of suitable site specific projects as per the guidelines from State Governments.

(ii) ''बायोमास सहउत्पादन एवं दहन'' - 2469.36 लाख रु. की बचत (4150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बायोमास पावर और खोई उत्पादन कार्यक्रम से संबंधित प्रस्तावों पर पूंजीगत आर्थिक सहायता जारी किए जाने के लिए वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित ब्योरे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) "Biomass Co-generation and Combustion" – saving of Rs.2469.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4150.00 lakhs) was due to non-receipt of requisite details from the financial institutions for release of capital subsidy on proposals pertaining to biomass power and bagasse generation programme.

(iii) ''ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 100.05 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परामर्शदाताओं से अपेक्षित सूचना और रिपोर्टें प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "Village Electrification Programme" - saving of Rs.100.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of required inputs and reports from the National and Regional consultants.

(खा) ''सौर'' -

(B) "Solar" –

(क) ''सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम'' -

(a) "Solar Thermal Energy Programme" –

(i) ''सौर ऊर्जा केंद्र'' - 105.00 लाख रु. की बचत (330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुल 20 के डब्ल्यूपी क्षमता का एक एसपीवी विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति के पूरा न होने के कारण हुई।

(i) "Solar Energy Centre" -saving of Rs.105.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.330.00 lakhs) was due to non-completion of procurement of equipments for installation of one 20kWp aggregate capacity SPV power plant.

(ii) ''निदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोग और बाजर विकास'' - 1190.86 लाख रु. की बचत (2750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न नोडीय अभिकरणों से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''फोटोवोल्टीय'' -

(i) ''अनुसंधान और विकास'' - 403.73 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधीयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किए जाने में विलंब होने और आदर्श आचार संहिता की वजह से निजी कम्पनियों से संबंधित परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''एसपीवी पंप कार्यक्रम'' - 122.64 लाख रु. की बचत (360.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण से ब्याज सहायता के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) ''पवन'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता'' - 230.00 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास संस्थाओं से उपयुक्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''पवन ऊर्जा केंद्र - पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र को सहायता'' - 400.00 लाख रु. की बचत (900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा पूछताछ के प्रति अनुपयुक्त प्रतिक्रिया प्राप्त होने की वजह से सी-डब्ल्यूईटी के प्रायोगिक पवन फार्म के लिए पवन टर्बाइन की खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य'' -

(ii) "Demonstration, Technology Utilisation and Market Development" -saving of Rs.1190.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2750.00 lakhs) was due to non-receipt of suitable proposals from various nodal agencies.

(b) "Photovoltaic" -

(i) "Research and Development" - saving of Rs.403.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to delay in development of suitable proposals for funding and non-approval of projects relating to Private Companies owing to model code of conduct.

(ii) "SPV Pump Programme" - saving of Rs.122.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.360.00 lakhs) was due to receipt of less demand for interest subsidy from Indian Renewable Energy Development Agency.

(C) "Wind" -

(a) "Research and Development-Assistance to Wind Power Generation Programme" - saving of Rs.230.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs) was due to non-receipt of proper proposals from Research and Development Institutions.

(b) "Wind Energy Centre - Assistance to Centre for Wind Energy Technology" - saving of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.900.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase procedure for acquiring of Wind Turbine for experimental wind farm of C-WET owing to inadequate response to tender enquiry.

(D) "Others" -

(क) ''शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा'' -

(i) ''शहरी/नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 1181.19 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिल्ली और बंगलौर में कुछ अन्य छूट चाहने वाली प्रवर्तक कम्पनी की मांग को पूरा किए जाने का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 288.79 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महाराष्ट्र में 4.9 एमडब्ल्यू की परियोजना के लिए कुछ उपस्करों की आपूर्ति में विलंब होने की वजह से परियोजना चालू किए जाने के लिए प्रतिपूर्ति के दावों का निपटान न होने के कारण हुई।

(ख) ''ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(i) ''ऊर्जा के रासायनिक स्रोत'' - 300.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत परियोजनाओं जिनका आशोधन किया जाना है, के लिए सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''हाइड्रोजन ऊर्जा'' - 1321.76 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ''विशेषज्ञ समिति'' की टिप्पणियों के आधार पर हाइड्रोजन ऊर्जा में मिशन मोड परियोजना के मूल्यांकन और आशोधन की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(iii) ''भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन'' - 255.35 लाख रु. की बचत (275.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न राज्य नोडीय अभिकरणों/राज्य संगठनों तथा अनुसंधान और विकास संस्थाओं से उपयुक्त/संतोषजनक प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Energy from Urban and Agricultural Waste" -

(i) "Energy from Urban/Municipal Waste" - saving of Rs.1181.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs) was due to non-receipt of approval to meet demand of promoter company seeking some other concessions at Delhi and Bangalore.

(ii) "Energy from Industrial Waste" - saving of Rs.288.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-settlement of reimbursement claims for commissioning of project owing to delay in supply of some equipment for the project of 4.9MW in Maharashtra.

(b) "Other Sources of Energy" –

(i) "Chemical Sources of Energy" - saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of information/clarifications for the projects recommended by the Expert Committee subject to the modification.

(ii) "Hydrogen Energy" - saving of Rs.1321.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-finalisation of process of evalution and modifications of the Mission Mode Project in Hydrogen Energy based on the comments of "Committee of Experts."

(iii) "Alternative Fuel for Surface Transportation" – saving of Rs.255.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.275.00 lakhs) was due to non-receipts of proper/satisfactory proposals from various State Nodal Agencies/State Organisations and Research and Development Institutions.

(iv) ''भूतल परिवहन के लिए जैव ईंधन'' - 270.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जैव ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति पर सरकार के निर्णय के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(iv) "Bio-Fuels for Surface Transportation" - saving of Rs.270.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-materialisation of the decision of Government on the National Policy on bio-fuel.

(ग) ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अन्य'' - 874.64 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(c) "International Cooperation - Others" - saving of Rs.874.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs); and

(घ) ''अन्य व्यय'' -

(d) "Other Expenditure" -

(i) ''विशेष क्षेत्र परियोजना'' - 202.21 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(i) "Special Area Project" - saving of Rs.202.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य नोडीय अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from State Nodal Agencies.

(ii) ''राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान'' - 350.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक बाध्यता की वजह से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

(ii) "National Institute of Renewable Energy" - saving of Rs.350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-requirement of additional funds for construction of buildings by Central Public Works Department owing to administrative compulsion.

(iii) ''प्रशिक्षण'' - 270.62 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूर शिक्षा के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में डिप्लोमा, पालिटेक्निकों के लिए पाठ्यक्रम विकास का कार्य जनवरी/फरवरी, 2009 तक पूरा न होने और आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के कारण हुई।

(iii) "Training" - saving of Rs.270.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-completion of comprehensive training programme of National Renewable Energy Fellowship Programme, diploma in renewable energy through distance learning, curriculum development for Polytechniques by Jan./Feb. 2009 and introduction of model code of conduct.

(iv) ''निगरानी और मूल्यांकन'' - 139.20 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 10 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक व्यय

(iv) "Monitoring and Evaluation" - saving of Rs.139.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to restriction in centralized evaluation of all

वाली सभी दसवीं योजना स्कीमों के केंद्रीय मूल्यांकन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र'' के अंतर्गत 187.69 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 294.31 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 64 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (5985.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2810'' -

(क) ''सौर - फोटोवोल्टीय - निदर्शन और प्रौद्योगिकी'' - 700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 696.90 लाख रु. था।

(ख) ''पवन - निदर्शन - पवन पंप कार्यक्रम को सहायता'' - 85.00 लाख रु.।

(ग) ''अन्य - ऊर्जा के अन्य स्रोत - लघु जल विद्युत विकास'' - 4500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4498.07 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जैव ऊर्जा - बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 700.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 699.00 लाख रु. था।

the 10th plan schemes to schemes having annual expenditure of more than Rs.10 crores.

(V) Under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes – Integrated Rural Energy Planing Programme-Training-National and Regional Training Centre" - saving of Rs.187.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing agencies of the State Governments.

(VI) Under four heads savings of Rs.294.31 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 64 percent of the sanctioned provision.

2 (I) The above savings were partly (Rs.5985.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2810" –

(a) "Solar – Photovoltaic – Demonstration and Technology" – Rs.700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.696.90 lakhs.

(b) "Wind – Demonstration – Assistance to Wind Pump Programme" – Rs.85.00 lakhs.

(c) "Others-Other Sources of Energy-Small Hydro Power Development" -Rs.4500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4498.07 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes - Bio-energy - National Programme for Biogas Development - National Project on Biogas Development" - Rs.700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.699.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2810'' - ''अन्य - अन्य व्यय'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''सूचना और प्रचार कार्यक्रम'' - 361.94 लाख रु. का अधिक व्यय (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और प्रचार संबंधी प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 2870.31 लाख रु. का अधिक व्यय (6550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, 20.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''4810'' - ''अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2810" – "Others – Other Expenditure" – under the following heads:-

(A) "Information and Publicity Programme" – excess of Rs.361.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to the requirement of additional funds to meet committed liabilities for advertisement and publicity and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Village Electrification Programme" – excess of Rs.2870.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6550.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, provision of Rs.20.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4810" – "Capital Outlay on Non-Conventional Sources of Energy" .